हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम सत्र

बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)बी(2)-9/1999-एल दिनांक 30.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.01.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री राकेश पठानिया, सभापति,लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्या: 2.1 से 2.13 की समीक्षा पर आधारित तथा **सावड़ा कुडडु हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 6)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में गोजातीय वीर्य के उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैलों के उपयोग, गोजातीय वीर्य के प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान और गोजातीय के किसी अन्य प्रजनन क्रियाक्लाप सहित गोजातीय प्रजनन क्रियाक्लापों के विनियमन द्वारा गोजातियों के सुधार हेतु तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 7)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए बजट अनुमान:-

सामान्य चर्चा एवं समापन ।

शिमला-171 004
दिनांक: 12 फरवरी, 2019

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)